छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 47/2007</u>

1.	**श्री सुरेश नखत,** **नगर प्रतिनिधि,** **दैनिक सवेरा संकेत, डोगरगांव,** **जिला- राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)**	-	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1.	*जन सूचना अधिकारी,* **कार्यालय वन मण्डलाधिकारी,** **वन मण्डल, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)**	-	*प्रति अपीलार्थी*

//आदेश//

(दिनांक 25 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सुरेश नखत ने दिनांक 27.04.2006 को जन सूचना अधिकारी, वन मण्डलाधिकारी, राजनांदगांव के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नही देने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील वन संरक्षक, दुर्ग के समक्ष दिनांक 11.08.2006 को प्रस्तुत की गई । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.10.2006 के द्वारा उक्त अपील निरस्त की, जिससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 20.12.2006 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में सुनवाई उपरांत दिनांक 04.04.2007 को यह निर्देश दिये गये थे कि पूर्ण जानकारी सत्यापित कर 15 दिवस में नि:शुल्क प्रदान की जावे, साथ ही अपीलार्थी को राशि 500/- रूपये धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जावे, तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.04.2007 को यह आवेदन प्रस्तुत किया कि आयोग के आदेशानुसार उन्हें जानकारी प्रदान नही की गई है तथा श्री सी0एल0 अग्रवाल, तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी, राजनांदगांव ने विलंब से शुल्क की सूचना प्रदान की और उनके स्थानांतरण उपरांत रिकार्ड संभवत: उपलब्ध नही है इसलिए उनको जानकारी प्रदान नही की जा रही है । इस संबंध में तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी श्री सी0एल0 अग्रवाल तथा उनके बाद पदस्थ श्री आई0एन0 सिंह दोनों को दस-दस हजार रूपये अधिनियम की धारा-20(1) के तहत् शास्ति का कारण बताओ

सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया और उत्तर पर उभय पक्ष की सुनवाई भी की गई । प्रकरण में श्री आई0एन0 सिंह के उत्तर में यह लिखा है कि तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी श्री सी0एल0 अग्रवाल के द्वारा 6774 पृष्ठ की गणना किस आधार पर की गई थी कार्यालयीन अभिलेख से स्पष्ट नही होता है तथा श्री सी0एल0 अग्रवाल ने भी अपने उत्तर में केवल आवेदक का आवेदन नस्तीबद्ध करने का उल्लेख किया है और यह कहा है कि दिनांक 04.04.2007 का आदेश उनके स्थानांतरण के बाद आया है, अत: उक्त कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जावे । किन्तु चूंकि उनके द्वारा शुल्क की गणना की गई थी और सूचना दी गई थी तथा शुल्क की सूचना भी आवेदन के 30 दिवस के बाद दी गई थी, जबकि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 30 दिवस के बाद तो नि:शुल्क जानकारी दी जाती है और श्री आई0एन0 सिंह के उत्तर में यह उल्लेख है कि शुल्क की गणना के आधार का रिकार्ड उपलब्ध नही है, अत: श्री अग्रवाल के उत्तर को पूर्णत: संतोषजनक नही माना जा सकता, किन्तु फिर भी कोई दुर्भावना नही होने के कारण थोड़ा उदार रूख अपनाते हुए श्री सी0एल0 अग्रवाल, तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी, राजनांदगांव के विरूद्ध अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत राशि 2000/- (दो हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है । इसी प्रकार श्री अग्रवाल के बाद पदस्थ वन मण्डलाधिकारी श्री आई0एन0 सिंह द्वारा भी दिनांक 20.04.2007 को जानकारी प्रदान करने का उल्लेख किया गया है, किन्तु वह जानकारी अपूर्ण दी गई थी, जो बाद में उनके बाद पदस्थ वन मण्डलाधिकारी द्वारा बाद में पूर्ण जानकारी प्रदान की गई है, अत: अपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए श्री आई0एन0 सिंह को दोषी पाया जाता है, अत: उनके उत्तर पर विचारोपरान्त थोड़ा उदार रूख अपनाते हुए अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत राशि 1000/- (एक हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है । प्रकरण में अपीलार्थी ने अब पूर्ण जानकारी मिल जाना स्वीकार कर लिया है, अत: अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, किन्तु रिकार्ड से स्पष्ट प्रतीत नही होता है कि पूर्व में दी गई क्षतिपूर्ति की राशि 500/- रूपये प्रदान करा दी गई है, यदि उक्त क्षतिपूर्ति प्रदान नही की गई हो तो एक सप्ताह में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त